सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 224 राँची, मंगलवार, 12 मई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

24 अप्रैल, 2026

सं.सं. : 33-वि.(अपुनरिक्षित भत्ता)-138 / 2024 /1446/वि.–

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों के भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान / वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कडिका-15 (ई.) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं. 217/वि. दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/4 (ii)/2025-E. II (B), दिनांक 06.10.2025 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (छठा वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों, जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, उनके मामले में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है: -

"राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान / वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय ।"

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34 (ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1273/वि० दिनांक 07.04.2026 के क्रम में दिनांक 15.04.2026 की बैठक के मद सं० 32 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

वित्त विभाग

शुद्धि पत्र

29 अप्रैल, 2026

सं.सं. : 33-वि.(अपुनरिक्षित भत्ता)-138 / 2024 /1480/वि.--

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1446/वि., दिनांक 24.04.2026 की कंडिका-3 निम्नवत हैः-

"3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों, जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है. उनके मामले में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः-

राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान /वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

2. उपर्युक्त कंडिका में अंकित दिनांक 01.01.2025 के स्थान पर दिनांक 01.07.2025 पढ़ा जाए।

3. यह शुद्धि पत्र वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1446/वि., दिनांक 24.04.2026 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है तथा उक्त संकल्प को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

प्रशांत कुमार,

सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 224 - 50